

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/1230/2022/10-11/5183

भोपाल, दिनांक 03/12/2023

प्रेषक:-

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं  
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,  
लिंग रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- सीधी एवं सिंगरौली जिले में रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेलवे लाईन के निर्माण हेतु सीधी वन मण्डल की 34.32 हेक्टेयर वनभूमि एवं सिंगरौली वन मण्डल की 141.92 हेक्टेयर वनभूमि कुल 176.24 हेक्टेयर वनभूमि पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/RAIL/33238/2018)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPR 016/2023-BHO दिनांक 22.06.2023

---0---

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 15 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	Full KML file of layout plan of forest area and non forest area (full project KML file) shall be uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण की पूर्ण KML file ऑनलाईन भाग-1 में अपलोड कर दी गई है।
2	It is a new railway line project, alternative alignment (KML file also) with comparative statement shall be submitted.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। आवेदक संस्थान ने लेख किया है कि Survey was done approximately 15 year ago and current alignment was finalized in that time. Accordingly in the fixed alignment 95% of revenue land acquisition work has been completed.
3	KML file for alternative alignment shall be submitted/uploaded.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि उक्त रेलवे लाईन के निर्माण हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं है। बिन्दु क्रमांक-2 के अनुसार।

4	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.	आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि रेल्वे लाईन के निर्माण में जो मलबा निकलेगा उसका उपयोग रेल्वे लाईन के निर्माण में ही किया जायेगा। आवेदक संस्थान द्वारा muck disposal scheme प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
5	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted /uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा वन मण्डलाधिकारी सीधी एवं सिंगरौली के हस्ताक्षर सहित Justification प्रस्तुत किया है, जो संलग्न है।
6	No objection certificates of concerned department (Road, WRD, TL, Coal etc) shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा लोक निर्माण विभाग का का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में WRD, TL, Coal की अन्य कोई परियोजना क्षेत्र में संचालित नहीं है।
7	Proper Cost-Benefit analysis as per revised NPV rate shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा Cost-Benefit analysis ऑनलाईन भाग-1 में अपलोड किया गया है, छायाप्रति संलग्न है।
8	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा Component wise breakup के संबंध में ऑनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक B-2.4 में लेख किया गया है।
9	As per SIR of CF, one number of displacement is involved. Rehabilitation plan needs to be submitted.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि कलेक्टर सीधी एवं सिंगरौली से रिपोर्ट प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा निर्धारित पैकेज अनुसार प्रभावित परिवार को 15 लाख रूपये प्रति पात्र परिवार के अनुसार राशि उपलब्ध कराई जायेगी।
10	Proper CA schemes & Maps shall be uploaded.	प्रकरण में तैयार निर्देशानुसार संशोधित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु संशोधित KML file एवं योजना ऑनलाईन भाग-2 में अपलोड कर दी गई है।


11	Some part of the proposed diversion area is part of Elephant Corridor (PF-781 & 782), Comments of CWLW, Govt. of M.P. need to be submitted.	वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली ने अपने पत्र दिनांक 30.10.2023 (छायाप्रति संलग्न) से अवगत कराया है कि कक्ष क्रमांक PF-781, 782 वन मण्डल की प्रचलित कार्यआयोजना श्री राजीव मिश्रा, भा.व.से. सत्र 2019-20 से 2028-29 के अनुसार प्रकरण हाथी कॉरीडोर में सम्मिलित नहीं है।
12	As per DSS analysis, the CA area has 76.00 ha MDF. It shall be rectified.	प्रकरण में तैयार निर्देशानुसार संशोधित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु संशोधित KML file एवं योजना ऑनलाईन भाग-2 में अपलोड कर दी गई है।
13	As per DSS analysis, in the CA area 12.39 ha has agriculture encroachment and 9.18 ha has previous plantation impression. These shall be clarified.	प्रकरण में तैयार निर्देशानुसार संशोधित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु संशोधित KML file एवं योजना ऑनलाईन भाग-2 में अपलोड कर दी गई है।
14	As per DSS analysis, the proposed diversion area falls in Son-Ghariyal WLS, thus, approval from competent authority shall be submitted.	प्रकरण में प्रस्तावित रेल्वे लाईन में पड़ने वाले गोपद नदी रेल्वे पुल जो सोनघड़ियाल अभ्यारण्य के अन्तर्गत आता है, प्रस्ताव तैयार कर संचालक, संजय टाइगर रिजर्व के माध्यम से मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, भोपाल को भेजा गया, जिसका स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ तथा नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन हो चुका है, छायाप्रति संलग्न है। मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा स्वीकृति जारी होना शेष है।
15	The proposed forest area involves in Sidhi Division is only 34.32 ha and total trees marked for felling is 16574 numbers. The alignment may be revisited by concerned DFO to reduce felling of trees.	वन मण्डलाधिकारी सीधी ने पत्र दिनांक 08. 11.2023 से अवगत कराया है कि Alignment is finalized in all respect and revenue land acquisition is completed, So it can not be revised.

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।  
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भुवदीय  
03/12/23  
(एच.एस. मोहन्ता)

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
  2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सीधी एवं सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
  3. उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेल्वे, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल